रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244729
CG-DL-E-28032023-244729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	**नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945**
No. 70]	**NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945**

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

7.33 प्रतिशत डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष प्रतिभूति, 2033 का निर्गम

फा. सं. 5(1)- बी(पीडी)/2021.—भारत सरकार एतद्वारा 28 मार्च, 2023 को कुल 6,893.6840 करोड़ रुपए (अंकित) की राशि के लिए 7.33 प्रतिशत डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष प्रतिभूति, 2033 (जिसे इसके बाद संक्षिप्त रूप में "विशेष प्रतिभूति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

1. विशेष प्रतिभूति में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

डाक जीवन बीमा निदेशालय विशेष प्रतिभूति के संबंध में अभिदान के लिए पात्र होगा और इसका अभिदान प्रतिभूति की राशि की सीमा तक सीमित होगा। डाक जीवन बीमा निदेशालय को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष प्रतिभूति के संबंध में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. मूल्य

विशेष प्रतिभूति डाक जीवन बीमा निदेशालय द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए सममूल्य पर किए गए आवेदन पर जारी किए जाएंगे। विशेष प्रतिभूति न्यूनतम 10,000 रुपए (अंकित) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में जारी की जाएगी।

3. आवेदन पत्र

विशेष प्रतिभूति डाक जीवन बीमा निदेशालय को अनुबंध-I में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी की जाएगी।

4. प्रतिभूति का स्वरूप

यह विशेष प्रतिभूति स्टॉक के रूप में अर्थात् 'स्टॉक प्रमाणपत्रों' के रूप में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ धारित संघटक सहायक सामान्य बही खाता अथवा सहायक सामान्य बही खाता में क्रेडिट द्वारा जारी की जाएगी।

5. कार्यकाल का प्रारंभ और वापसी अदायगी की तारीख

विशेष प्रतिभूति का कार्यकाल 28 मार्च, 2023 से शुरू होगा। विशेष प्रतिभूति पर ब्याज उनकी अवधि प्रारंभ होने की तारीख से उपचित होगा। विशेष प्रतिभूति की वापसी अदायगी सममूल्य पर 28 मार्च, 2033 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. ब्याज

विशेष प्रतिभूति पर 7.33 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष प्रतिभूति की अवधि प्रारंभ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष प्रतिभूति की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 28 सितम्बर और 28 मार्च को देय होगा।

विशेष प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुंबई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. हस्तांतरणीयता

(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष प्रतिभूति का नवीकरण, उप-विभाजन, समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष प्रतिभूति को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अंतरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. सांविधिक प्रावधान

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित की जाएगी।

9. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष प्रतिभूति में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किया जाएगा।

10. प्रतिभूतियों की पात्रता

बैंकों द्वारा विशेष प्रतिभूति में निवेश को बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को समय-समय पर यथा संशोधित बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों" की श्रेणी के तहत निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, भविष्य निधियों, उपदान निधियों, अधिवर्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

11. रेपो के लिए पात्रता

विशेष प्रतिभूति हस्तान्तरणीय होंगी और बाजार के तत्काल वायदा लेन-देन (रेपो) के लिए पात्र होगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

अनुबंध-I

स्थानः
तिथिः

क्षेत्रीय निदेशक
लोक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिजर्व बैंक,
मुंबई – 400 001

विषयः- 7.33 प्रतिशत डाक जीवन बीमा के भारत सरकार विशेष प्रतिभूति, 2033

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा.सं. 5(1)- बी (पीडी)/2021 दिनांक 28 मार्च, 2023 की शर्तों के अंतर्गत हम 6,893.6840 करोड़ रुपए की समग्र राशि के शीर्षकांकित प्रतिभूतियों में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष प्रतिभूतियों को शासित करने वाली शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में प्रतिभूतियों को जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षरः
नामः
पदनामः
कार्यालय मुहर/स्टाम्प

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

Issue of 7.33 per cent Postal Life Insurance Government of India Special Security, 2033

F. No. 5 (1)-B(PD)/2021.—Government of India hereby notifies the issue of 7.33 per cent Postal Life Insurance Government of India Special Security, 2033, (hereinafter briefly described as "Special Security") for an aggregate amount of ₹6,893.6840 crore (nominal) on March 28, 2023.

1. Eligibility for making subscription to the Special Security and limits of subscription.

The Directorate of Postal Life Insurance shall be eligible to subscribe to the Special Security and its subscription shall be limited to the extent of the amount of security. No other person including any bank, company, corporation or any other body, except the Directorate of Postal Life Insurance, shall be eligible to subscribe to the Special Security.

2. Price

The Special Security shall be issued on application at par for the amount as per the application made by the Directorate of Postal Life Insurance. The Special Security will be issued for a minimum amount of ₹10,000 (Nominal) and in multiples of ₹10,000 thereafter.

3. Application

The Special Securities shall be issued on application as per proforma in Annexure I, to the Directorate of Postal Life Insurance.

4. Form of Security

The Special Security will be issued in the form of stock i.e. 'Stock Certificates' or by credit to Constituent Subsidiary General Ledger account or Subsidiary General Ledger account maintained with the Reserve Bank of India.

5. Commencement of tenure and date of repayment

The tenure of Special Securities will commence from March 28, 2023. Interest on the Special Security will accrue from the date of commencement of tenure. The Special Security will be repaid at par on March 28, 2033 at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

6. Interest

The Special Security will bear interest at the rate of 7.33 percent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Securities and will be payable half yearly on September 28 and March 28 till maturity.

Interest on the Special Security will be payable at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

7. Transferability

(i) Subject to the provisions of paragraph 4 of the notification, the Special Security can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed there under.

(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Security by the subscriber in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

8. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Security shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

9. Applicability of Tax Law

The value of the investment in the Special Security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time-to-time.

10. Eligibility of Securities

The investment in the Special Security by the banks and insurance companies will not be reckoned as an eligible investment in Government securities for their statutory requirements. However, such investment by the insurance companies will be eligible to be reckoned as investment under "other Approved Securities" category as defined under Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time. Further, the investment by the Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds, etc. in the Special Securities will be treated as an eligible investment under the administrative order of the Ministry of Finance.

11. Eligibility for Repo

The Special Security will be transferable and eligible for market ready forward transactions (Repo).

By Order of the President of India,

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Annexure I

Place:
Date:

The Regional Director,
Public Debt Office,
Reserve Bank of India,
Mumbai 400 001

Subject: 7.33 percent Postal Life Insurance Government of India Special Security, 2033

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification No. F.No.5(1)-B(PD)/2021 dated March 28, 2023, we are eligible to subscribe to the captioned securities for an aggregate amount of ₹6,893.6840 crore.

We accept the terms and conditions governing the Special Security and request you to issue the securities in our favour.

Yours faithfully,

Signature:
Name:
Designation:
Office Seal/Stamp

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA